



श्री... श्री... शेर सिंह सादर  
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक... 9/9/2010  
को प्रस्तुत

महोदय

ओम शांति

रेवेन्यु निगरानी क्रमांक :- /2010

प्रस्तुति दिनांक :- / /2010

माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) केम्प इन्दौर के समक्ष

R-1317-I/2010

धूलीबाई पति बापूसिंह मृत तर्फ वरिसगण

इन्दरसिंह पिता बापूसिंह धंधा - काश्तकारी

निवासी - ग्राम असरावद बुर्जुग तेह. व जिला इन्दौर

2. रघुनाथसिंह पिता बापूसिंह

धंधा - काश्तकारी, निवासी - सदर

... प्रार्थीगण(प्रतिप्रार्थीगण)

विरुद्ध

दर्यावसिंह पिता अमरसिंह

निवासी - असरावद बुर्जुग तेह. व जिला इन्दौर ... प्रतिप्रार्थी(प्रार्थी)

रेवेन्यु निगरानी धारा 50 मध्यप्रदेश न्यू-राजस्व संहिता 1959 के तहत

महोदय,

उपरोक्त प्रार्थीगण माननीय अपर आयुक्त महोदय इन्दौर संभाग इन्दौर द्वारा रेवेन्यु द्वितीय अपील क्रमांक 233/अपील/2005-06 मे पारित आदेश दिनांक 28/07/2010 से असंतुष्ट होकर सदर निगरानी सादर प्रस्तुत है :-

R. 1317-F/2010 उद्योग

1910716

आवेदक अभिभाषक श्री दिशोर सिंह उपस्थित। उनके द्वारा निवेदन किया कि वे प्रमाण चलाना नहीं चाहते हैं। आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रमाण नहीं चलाने के अनुरोध पर प्रकरण समाप्त किया जाता है।

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
अहमद

प्रकरण को माफ़े परमाणु नहीं चलाना है।

*[Handwritten signature]*

19.10.18